राजस्थान सरकार

कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता, बाड़मेर

ई–मेल : barmer.we@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–मअबा/लैं. उत्पी./2020–2021/301 दिनांकः– 17/08/2020

–:: सार्वजनिक सूचना ::–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–14) पूर्व में लागू किया जा चुका है। (अधिनियम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की बेबसाईट **www.wcd.nic.in** तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार की वेबसाईट **www.wcd.rajasthan.in** पर उपलब्ध है) अधिनियम के अध्याय–II की धारा 4(1) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता (विभाग, उधम, संस्थानों, कार्यालय आदि तथा वह सभी स्थान जो कार्यस्थल के रूप में हैं) को अपने कार्यस्थल के लिये एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। ऐसे कार्यालय/प्रशासनिक ईकाई जिनके कार्यस्थल विभिन्न संभागो अथवा उपखंड स्तर पर स्थित है, आंतरिक समिति का गठन प्रत्येक कार्यालय जहां 10 या 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत हो अथवा प्रशासनिक ईकाई पर किया जाना आवश्यक है साथ ही कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन आदेश (जिसमें अध्यक्ष, सदस्यों के नाम, मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है) प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

नियोक्ता द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यशालाएं एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा वार्षिक रिपोर्ट श्रीमान् जिला कलक्टर /उपनिदेशक महिला अधिकारिता कलेक्ट्रेट परिसर बाड़मेर के पास भिजवाना अनिवार्य है।

अतः सभी सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम में विहित प्रावधान के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन करें एवं अध्यक्ष, सदस्यों की सूचना नाम, मोबाईल नम्बर को प्रदर्शित करें एवं इस कार्यालय की ई–मेल आईडी **barmer.we@rajasthan.gov.in** पर भी भिजवायें साथ ही यदि विभाग/प्रशासनिक इकाई/उधम/संस्थान/कार्यालय में पूर्व में जहां पर 10 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हो वहां समिति का गठन किया जावे एवं तीन वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाली समस्त आंतरिक शिकायत समिति का पुर्नगठन किया जाना है। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम, 2013 अध्याय–III–6.2 में विहित प्रावधान के अनुसार हो। साथ ही पुर्नगठन से संबंधित सूचना भी इस कार्यालय की उक्त ई–मेल आईडी पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(प्रहलादसिंह राजपुरोहित)
उप निदेशक
महिला अधिकारिता
बाड़मेर

Scanned with CamScanner